



INDIA NON JUDICIAL



31

Government of Uttar Pradesh

IN-UP18496158671854V

e-Stamp


6020



X

Certificate No. : IN-UP18496158671854V ✓  
 Certificate Issued Date : 19-Sep-2023 06:03 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800432568364292080V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-43 CHHA MALUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-  
 SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : SMT MADHURI WO RAM SAJIWAN  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,940  
 (Two Thousand Nine Hundred And Forty only)

2008



नि०३०  
माधुरी

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

IRID 0007065771



e-Stamp



6073  
2023

Certificate No. : IN-UP19546325637054V ✓  
 Certificate Issued Date : 20-Sep-2023 04:41 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004 SOHAWAL UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UP/JP/414800434622774109035V  
 Furnished by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-155 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPABHAR PAR-  
 MAGALSI TEH SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : KUSUM KUMARI URF KUSUM DQ JAGPATA URF SHYAM KALI  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 1,43,220  
 (One Lakh Forty Three Thousand Two Hundred And Twenty only)



अयोध्या

उप सचिव  
क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065803



7456



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

### विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न प्रकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निम्नादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार :-, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
155	1662690155000012	0.1640
160	1662690160000012	0.0690

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.082 व 0.01725 हेक्ठ

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
155	0.082	चक्रमार्ग गाठसं- 154	गाठसं- 157	गाठसं- 158 व 123	गाठसं- 158
160	0.01725	गाठसं- 159	गाठसं- 157	गाठसं- 157 व 159 का कोना	गाठसं- 161

[Signature]

[Signature]  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गारा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की क्षमता
1	2	3	4		7	8
165	0.082	कुरुम कुमारी लक्ष्मी कुरुम	जगन्नाथ लक्ष्मी श्यामकली	0.082	1804000.00	1804000.00
160	0.01725	कुरुम कुमारी लक्ष्मी कुरुम	जगन्नाथ लक्ष्मी श्यामकली योग	0.01725	241500.00	241500.00
					2045500.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 143220.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
कुरुम कुमारी लक्ष्मी कुरुम	जगन्नाथ लक्ष्मी श्यामकली	839994965758	ATHPK8707G	9815687314	नोकरी	पी 88 सिविल लाइन रोड राज नगर भटिंदा पंजाब

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

  
कुरुम

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के भूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उपरो के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआयजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कुलुम कुमारी उर्फ कुलुम	जगपति, उर्फ श्यामवती	राज्यीय कुपी बचत बैंक	BARB0BUPGBX	55300100022490	2045500.00

कुल धनराशि शब्दों में-

(बीस लाख पैतालिस हजार पाँच सौ रुपये मात्र)



  
उप निरीक्षक  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उत्तका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में दावा दायर करेगा। यदि विक्रेता को बुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गू-राजस्व की भांति बसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और यह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर दिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो मनाहों के सम्मक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व. राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
इकराम उल्लाह	रहमा उल्लाह	7860176659	व्यवसाय	फिरोजपुर उमरगार सोहावाज अयोध्या

  
अमरुम

  
उप निमित्त  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



101

शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग - 13 संख्या - 2/2015/215 एक - 13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - मंत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्वारा भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे एतद्वारा क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रोत्तर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित मूल्द कोई बात या भूवद्द किसी बीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते हैं:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय दिलेख के अनुसार प्रतिकर ली सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यत्र रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, नाम किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के तिरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करना/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती धारा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।



अयोध्या

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी तृतीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर हो सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संस्था का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
00015	155	0.082	-	1804000.00	-	-
00143	160	0.01725	-	241500.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	2045500.00	कुसुम कुमारी उर्फ कुसुम	जगपता उर्फ क्यामकली	प्लॉ 88 सिविल लाइन रोड कांत नगर पटिंडा मजरा

  
अनुसूची

  
उप निवेद्य  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904807456

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6073

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 2045500 स्टाम्प शुल्क- 143223 बाजारी मूल्य - 2046000 पंजीकरण शुल्क - 20460 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग: 28520

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी, प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शंकर कुमार  
व्यवसाय: नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी, प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

मे यह लेख पत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023

एवं 05:51:54 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राज कुमार सिंह

उप निबंधक (साहायक)

अयोध्या

20/09/2023


  
निबंधक लिपिक  
20/09/2023

प्रिंट करें




नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर मनी-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।


- नुस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	कुरुन कुमारी उर्फ खरुन	जगप्रता उर्फ श्यामकली	पी 65 सिविल लाइन रोड शांति नगर मण्डिका कजान	

गवाह / अभिसाक्षी


नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजदली प्रसाद	78607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
इकबाल खल्लद	रहमत खल्लद	7860176659	व्यवसाय	फैरीमपुर उपखण्ड सोटापल अयोध्या	

क्रय निकट्य की कीमत से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।





उप   
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6073

दिनांक: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त

चिक्रेता: 1

श्रीमती कुसुम कुमारी उर्फ कुसुम, पत्नी श्रीमती लक्ष्मी उर्फ श्यामकली

निवासी: पी 65 सिविल लाइन रोड शांत नगर भद्रिका पंजाब

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 1

*कुसुम*



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार


निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

*[Signature]*




श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री रम रालबती प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

*[Signature]*



श्री इकराम उल्लाह, पुत्र श्री रहमत उल्लाह

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहानल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

ने की। प्रत्यक्षतः शत्रु साक्षियों के निशान अंगुलि नियमानुसार तौर गए हैं रिप्पणी:



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

*[Signature]*  
प्रमिल सिंह

उप निबंधक: सोहनल

अयोध्या  
20/09/2023

निबंधक दिपिका अयोध्या  
20/09/2023

प्रिंट करे

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वंशोच्च कुंज आवासीय योजना हेतु अर्पित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि आम- फिरोजपुर उपखण्ड परगना मगलती चहरील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहकारिता की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	समर्थकों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
155	सुश्री कुमारी उषा कुशुम	जगमोहन उषा स्वामीकुली	0.082	सुश्री कुमारी उषा कुशुम
160	सुश्री कुमारी उषा कुशुम	जगमोहन उषा स्वामीकुली	0.01725	सुश्री कुमारी उषा कुशुम

निष्ठादा का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या।



सुश्री कुमारी उषा कुशुम

सुश्री कुमारी उषा कुशुम  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007456

बही संख्या । जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 295 से 312 तक क्रमांक  
6073 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

20/09/2023

प्रिंट करें





Handwritten notes or scribbles at the bottom left of the page.

क्रमांक - १	क्रमांक - २	क्रमांक - ३	क्रमांक - ४
१	०.1640	₹ 4.67	2

Data Digitally Signed by: UDAY RAJ

यदि आप इसे वेबसाइट <http://upamurtekla.gov.in> वेबसाइट पर देखें तो इसका



सूचना: UDAY RAJ  
 कर्मचारी - उपायुक्त  
 दिनांक: 30-11-2023 11:56:07  
 वेबसाइट: upamurtekla.gov.in

**भूलेख / कम्प्यूटर अनुभाग**  
**तहसील सोहावल, जनपद-अयोध्या**

नकारात्मक प्रति खाता नं० 15/- गांव  
 सत्या प्रमाणित प्रमाणित

उपायुक्त





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP18506443168266V


32

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. **6019**  
 Certificate Issued Date **2023** : IN-UP18506443168266V ✓  
 Account Reference : 19-Sep-2023 06:17 PM  
 Unique Doc. Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Purchased by : SUBIN-UPUP1414800432591530278945V  
 Description of Document : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Property Description : Article 23 Conveyance  
 : GATA NO-158 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-  
 : MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : SUNDARLAL SO BALAK RAM  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 6,86,770  
 : (Six Lakh Eighty Six Thousand Seven Hundred And Seventy only)



सुन्दर लाल



*[Signature]*

राजा रघुसिंह इलेक्ट्रॉनिक्स  
 सोहावल जिला अयोध्या  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

RD 0007065774

100



100



अयोध्या निम्नत प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
160	1662690160000012	0.0690
188	1662690158000012	0.1480
271	1662690271000012	0.2760

- 5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0345, 0.1480 व 0.2760 हेक्ठ
- 6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
160	0.0345	गाठसं-159	गाठसं-157	गाठसं-157 व 159	गाठसं-161
188	0.1480	गाठसं- चकमार्ग	गाठसं-157	गाठसं- 155	गाठसं- 159
271	0.2760	गाठसं- चकमार्ग	गाठसं- 282	गाठसं- 270	गाठसं- 272



सु-५१/११/११

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रोत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
160	0.0345	सुन्दर लाल	बालक राम	0.0345	483000.00	483000.00
158	0.1480	सुन्दर लाल	बालक राम	0.1480	3256000.00	3256000.00
271	0.2760	सुन्दर लाल	बालक राम	0.2760	6072000.00	6072000.00
			योग		9811000.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 686770.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
सुन्दर लाल	बालक राम	649050842073		9559207255	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहाबल अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



सुन्दर लाल

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सुन्दर लाल	बालक राम	बैंक ऑफ बड़ोदा सुवित्तार्गज अयोध्या।	BARB0SUCHIT	00700100043702	9811000.00

कुल धनराशि शब्दों में-

( अट्ठानवे लाख ग्यारह हजार रुपये मात्र)

  
सुन्दर लाल

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाम के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-  
हस्ताक्षर




नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

#### द्वितीय साक्षी विवरण

हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
जगराम यादव	ब्रम्हादेन	9452926763	बिजनेस	रुदौलिया बाकरगंज पूरा बाजार अयोध्या।



सुन्दर लाल

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवृद्ध कोई बात या भूवृद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथकत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।



सुन्दर लाल

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
00162	160	0.0345	-	483000.00	-	-
00163	158	0.1480	-	3256000.00		
00163	271	0.2760	-	6072000.00		

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
		9811000.00	सुन्दर लाल	बालक राम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।

  
सुन्दर लाल

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007409

विक्रय पत्र

पृष्ठ सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6019

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 9811000 स्टाम्प शुल्क- 686770 बाजारी मूल्य - 9811000 पंजीकरण शुल्क - 98110 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 98170

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/  
प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/09/2023 एवं  
06:58:03 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक :सोहायस  
अयोध्या  
19/09/2023

निबंधक लिपिक  
19/09/2023

प्रिंट करे



नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	सुन्दर लाल	बालक राम	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	सुन्दर लाल

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
जगराम यादव	ब्रम्हादीन	9452926763	दिजनेस	रुदौलिया बाकरगंज पूरा बाजार अयोध्या।	Jagoram Yadav

क्रय निकाय से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------------

  
सुन्दर लाल

  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6019

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री सुन्दर लाल, पुत्र श्री बालक राम

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

केता: 1

सुन्दर लाल



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार


निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

शरद कुमार



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

ओम प्रकाश



श्री जगराम यादव, पुत्र श्री ब्रम्हादीन

निवासी: रुदौलिया बाकरगंज पूरा बाजार अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

जगराम यादव



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक: सोहावल

अयोध्या  
19/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

19/09/2023

ने की। प्रत्यक्षतः मूद्र साक्षियों के निशान अंगठे नियमानुसार लिए गए हैं

दिपेशणी



पिटकर

सं०			अंश/विक्रित क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5
160	सुन्दर लाल	बालक राम	0.0345	सुन्दर लाल
158	सुन्दर लाल	बालक राम	0.1480	सुन्दर लाल
271	सुन्दर लाल	बालक राम	0.2760	सुन्दर लाल

निष्पादन का दिनांक:-  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



सुन्दर लाल

उप सचिव  
अयोध्य विनास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007409

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3131 के पृष्ठ 333 से 348 तक क्रमांक 6019 पर  
दिनांक 19/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

19/09/2023

प्रिंट काँ





Government of Uttar Pradesh



e-Stamp  
6071

Certificate No. : IN-UP12530551610427V  
 Certificate Issued Date : 19-Sep-2023 07:01 PM  
 Amount Referenced : NEWIMPACC (SN)/up141480047 SOHAWAL, UP, F2G  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414200432535912745527V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-43 GHHA MALHA-FIROZPUR UPAR-HAR PADMA, DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (RS.) : S. KUMAR URF R S YADAV SO MUNNU URF MUNNU YADAV  
 First Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By :  
 Stamp Duty Amount (RS.) : 2,540  
 (Two Thousand Nine Hundred And Forty only)



सुरेश यादव

*[Handwritten Signature]*

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



30

0007065777





**विक्रय पत्र**  
**कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या**

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु दक्षिण कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु अयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निम्नादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
43क	1662690043000012	0.0060

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0030 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
43क	0.0030	गाटा संख्या-44	गाटा संख्या-42	गाटा संख्या-40	गाटा संख्या-43 का कोना

  
श्रीशुभ्र

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
43ड	0.0060/ 0.10030	सुरेश कुमार उर्फ राम सुरेश जदव	गुनु उर्फ गुनु चादव	0.0030	42000.00	42000.00
			योग-	0.0030	42000.00	42000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु0 2940.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
सुरेश कुमार उर्फ राम सुरेश जदव	गुनु उर्फ गुनु चादव	3984 7956 9674	BCNPY8506M	7379300747	कृषि	किरावापुर उपखण्ड साहायल अयोध्या

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार	-	AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

  
सुरेश कुमार

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अशिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

  
नि.अ.  
सुरेन्द्र कुमार

  
सुरेन्द्र कुमार  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरेश कुमार उर्फ राम सुरेश यादव	मुन्नु उर्फ मुन्नु यादव	बरोबर ग्रुपी बैंक	BARBOBUPGBX	54910100033760	42000.00
					योग-	42000.00

कुल धनराशि शब्दों में- ( ब्यालिस हजार रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को न्युटिविश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवोंहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	रवठ राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

 नि.सं.

सुरेश कुमार


  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
सुशिल-प्रताप चावरा शिरजाकिर	सुशिल-प्रताप चावरा शानेश्वर		कृषि	फिरोजपुर जपरवार सोहावल शिवपुरा



शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग - 13 संख्या - 2/2015/215 एक - 13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आगे उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे एतदपश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा इस्ताम्भरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सम्प्रेषण देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुराधी में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अद्यतन सहमत है/हैं कि अनुराधी में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वाचस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

 नि.ड.फ.  
शिरजाकिर

  
हप सचिव  
उपरोक्त विवरण में उल्लिखित, लखनऊ



(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्कतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में अराफल रहता है/रहतें हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा बहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

  
नि. 30  
सुरेश कुमार

  
उप सचिव  
आयोज्य विकास प्राधिकरण, अमृतसर



## अनुसूची


ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील- सोहावल जिला- अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वज्ञ संख्या का भाग हो (चारी सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
159	46ख	0.0030	-	42000.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	42000.00	शुरेश कुमार डकें राम सुरेश यादव	मुन्नु उर्फ मुन्नु यादव	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निम्नादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	शुरेश कुमार डकें राम सुरेश यादव	मुन्नु उर्फ मुन्नु यादव	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या	

 नि.सं.  


  
 ज.प. कोचरे  
 जिला-अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007412

विक्रय पत्र

पृष्ठी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6071

वर्ष: 2023

प्रतिफल: 42000 स्टाम्प शुल्क - 2940 बाजारी मूल्य - 42000 पंजीकरण शुल्क - 420 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 480


श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय - नौकरी  
निवासी: अयोध्या विजय प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी प्रतिनिधि

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023 एवं  
05:30:31 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह  
उप निबंधक - सी.हावल  
अयोध्या  
20/09/2023

निबंधक लिपिक  
20/09/2023

प्रिंट करें



गवाड /अभिसाधी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबती प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाड /अभिसाधी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
हमिना-प्रसाद मदन विजयशंकर	राम वीरज सादव रजेश्वरप्रसाद		कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोहायल अयोध्या	

  
क्रय निकाश की ओर से  
अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

  
नि.अ.  
श्रीशकुमार

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6031

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजबुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री सुरेश कुंतार उर्फ राम सुरेश यादव, पुत्र श्री पुत्रु लर्फ गुरु यादव

निवासी: फिरोजपुर उमरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि *सुरेश यादव*

क्रेता: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विक स प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजव्रती प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी


पहचानकर्ता: 2



श्री गोरजा शंकर, पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद

निवासी: फिरोजपुर उमरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार



ने की। प्रस्तावित शर्त साक्षियों के निशान अंगूठे निम्नानुसार लिए गए हैं।  
रिषाणी



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर


*Signature*  
राहुल सिंह

उक्त निबंधक: सोहावल अयोध्या  
20/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या  
23/09/2023

*Handwritten mark*

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमता के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	सपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	शुरेश कुमार उर्फ राम शुरेश यादव	पुनू उर्फ पुनू यादव	0.0030	

निष्पादन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या।



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

 नि.अ.  
शुरेश कुमार

आवेदन सं०: 202300904007412

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 253 से 272 तक क्रमांक  
6071 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

20/09/2023





100

100

100

100



Government of Uttar Pradesh

UP-UP0520052-107228V



e-Stamp

6015

Certificate No.	: INUP18320290487226V
Certificate Issued Date	: 19 Sep 2023 06:38 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) up141480047 SOHAWAL/UP-FZS
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1414800432518623211870V
Purchased by	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: GATA NO-253 AND OTHERS MAUJA-FROZPUR SPARHAT PAR- MAGALSI TEHRSOHAWAL DIST-AYODHYA
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SUKUMAR URF SUJAI SUSHIL MOHAN
Second Party	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Stamp Duty Paid By	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 1,00,610 (Four Lakh Eighty Six Thousand Six Hundred And Forty-ten)



उप निवेदन

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

मिर्जा रोहित राम हुसैन







सुरज

नि.अ.



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पदाकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निश्चित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - भगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
253	1662690263000012	
245	1652690245000012	0.1130
244	1662690244000012	0.1670
		0.1850

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0565, 0.1670 व 0.0925 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
253	0.0565	सीमा ग्राम बलारपुर	गा0स0-254	शकमान गा0स0-252	गा0स0-255
245	0.1570	शकमान सीमा ग्राम बलारपुर	गा0स0-260	गा0स0-244	गा0स0-245
244	0.0925	शकमान सीमा ग्राम बलारपुर	गा0स0-260	गा0स0-243	गा0स0-245



सुरज

नि.अ.

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत संपत्ति का विवरण -

क्रमांक	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (मकिल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धारणा
1	2	3	4		7	8
253	0.0565	शुभम राम लाल शुभम	शिवमोहन	0.0565	1243000.00	1243000.00
245	0.1670	शुभम राम लाल शुभम	शिवमोहन	0.1670	3674000.00	3674000.00
244	0.0925	शुभम राम लाल शुभम	शिवमोहन	0.0925	2035000.00	2035000.00
				कुल धारणा	6952000.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 486640.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
शुभम राम लाल शुभम	शिवमोहन	779259025780	OBKPS1316A	7392868379	पजदूरी	गिरा पोहम्बरपुर सोहापल अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित रजिस्ट्रार राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALAD206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



निष्ठा

रु. 2.00

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादस्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बंधक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी कृति के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाश के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को समी प्रयोजनो हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र. 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	शुभम राम लाल शर्मा	शिवमोहन	बैंक ऑफ़ इण्डिया, गुरुदासपुर अयोध्या	BARB0BUPGBX	55300100016297	6952000.00


कुल धनराशि शब्दों में -

(उत्तर लख पाने हजार रुपये मात्र)



22/6/20  
नि. 8/2

उपरोक्त  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



एकत धनराशि को भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर JHOSS/NEFA के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी एकत विक्रेय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में दाव दाखल करेगा। यदि विक्रेता को बुद्धिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दू-राजराय की सांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।


13. द्वितीय पक्ष अनिश्चयन करता है कि द्वितीय पक्ष ने एकत अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह एकत अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारावृत्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रेय पत्र में उल्लिखित उमरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवौहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-  
हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	रघु राजवली प्रसाद	7637778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



द्वितीय साक्षी विवरण  
हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
प्रियकाश मारती	रघु प्रसाद	7392868379	जोय	बिरौ मोहम्मदपुर सोतावल अयोध्या।

शासनादेश संख्या -राजराय अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वाभियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)



नि.अ.प.

52261

उप साक्षी  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

वृत्ति उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और वृत्ति भूस्वामी अग्रोतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखंड कोई बात या भूखंड किसी बीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकती। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सहमत होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रय में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अध्यागत की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सद्युक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी इनि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रकार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रकार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातावर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को बरूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अस/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।



ने. 31.

5/2/21

सप  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को मूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि मूस्वामी ने समझौता पत्र को कम्पटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि मूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (मारों सीमाओं और लगी हुई मूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर विवरण	खड़ी फसल मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0071	253	0.0565	-	1243000.00	-	-
0168	245	0.1670	-	3674000.00	-	-
0089	244	0.0925	-	2035000.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
		रु.6952000.00	मुरज राम लाल मुरज	शिवगौहन	बिरौ मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।



म. ३३.

हरि

उप  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007410

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6018

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 6952000 स्टाम्प शुल्क - 486549 बाजारी गूल्य - 5952000 मंजूकरण शुल्क - 59520 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग - 69580

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री संजय कुमार  
व्यवसाय: नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी प्रतिनिधि


ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/09/2023 एवं  
07:01:12 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक (सहायक)  
अयोध्या  
19/09/2023

निबंधक लिपिक  
19/09/2023

प्रिंट करें




• भुरवागी / भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	सूरज राम ठरु सूरज	शिवमोहन	दिसा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	

सहाय / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
अमन प्रकाश	शरत राजबलो प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

सहाय / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
प्रियंका भारती	सूरज प्रसाद	7392868379	जॉब	दिसा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	

समस्त अधिकार अतिक्रम  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या  
उपराचित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।



सूरज  
पि.अ.

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6018

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने पत्रमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री सुरज राम उर्फ सुरज, पुत्र श्री शिवमोहन  
निवासी: चिरी मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: व्यापार  
क्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबती प्रसाद  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी  
पहचानकर्ता: 2




कुमारी प्रियंका भारती, पुत्री श्री सुरज प्रसाद  
निवासी: चिरी मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
19/09/2023

निबंधक सिपिक अयोध्या  
19/09/2023



प्रिंट करे


हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु उपनिर्दिष्ट भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपखण्ड परगना मगधसौ तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहकारीदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
253	सूरज राम उर्फ सूरज	शिवमोहन	0.0565	
248	सूरज राम उर्फ सूरज	शिवमोहन	0.1670	
244	सूरज राम उर्फ सूरज	शिवमोहन	0.0925	

नियामक का दिनांक -  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

सि.डी.  
526

उप मुख्या  
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या



सूरज

12. 3/2

आवेदन सं०: 202300904007410

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3131 के पृष्ठ 315 से 332 तक क्रमांक  
6018 पर दिनांक 19/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
19/09/2023

7/9/23





58

e-Stamp

6075/23



Certificate No.	: IN-UP141480043527V
Certificate Issued Date	: 19-Sep-2023 05:51 PM
Account Reference	: NEWMPA00 (SV) ip14148004/SHAWAL/UP-FZB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UP/UP14148004352505455092522V
Purchased by	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA.
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: GATA NO-124 KA AND OTHERS MALA-FIROZPUR UP&R, TET&R- MAGALSI TEHSOHAWAL DISTT-AYODHYA
Consideration Price (Rs.)	: 3,52,550
First Party	: जयमती कौशिक
Second Party	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Stamp Duty Paid By	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 3,52,550 (Two Lakh Fifty Two Thousand Five Hundred And Sixty only)



जयमती



*(Signature)*

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

11

11



जारी



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में जनसु विकास हेतु यशिव कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पदाकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
215 अ	1662690215200112	0.5050
124क	1662690124000012	0.1000
215क	1662690215200112	0.0510

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.12625, 0.025 व 0.01275 हेक्ठ

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
215 अ	0.12625	गाठसं- 216	गाठसं- 213	गाठसं- 214 बलुमार्ग	गाठसं- 218
124क	0.025	गाठसं- 131 व बलुमार्ग 132	गाठसं- 123	गाठसं- 148	गाठसं- 122
215क	0.01275	गाठसं- 216	गाठसं- 213	गाठसं- 214 बलुमार्ग	गाठसं- 218

नि.अ.  जारी प्रती

  
उप निबन्धक  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

प्लॉट नंख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की छनराशि
1	2	3	4	5	6	7
215 अ	0.12625	जासोमती	जगजीवन	0.12625	2777500.00	2777500.00
124क	0.025	जासोमती	जगजीवन	0.025	550000.00	550000.00
215क	0.01275	जासोमती	जगजीवन	0.01275	280500.00	280500.00
			कुल योग		3608000.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 252560.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
जासोमती	जगजीवन	737421471657	BXLPJ2546K	9125394734	ग्रहणी	फिरोजपुर अपस्टार सेक्टर अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नाफित सर्विस रात उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



निम्न

जासोमती

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादरत है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बंधक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी नृति के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और कय निब्लाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अनिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धिता भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।


12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	जाक्षोमती	जगजीवन	बैंक ऑफ बड़ोदा सुमिदानी अयोध्या	BARBOSUCHIT	00708700022237	3608000.00

कुल धनराशि शब्दों में-

(उत्तीस लाख आठ हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।



जाक्षोमती

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में दावा दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब भारत प्रतिष्ठान प्रतिपक्ष की वर से गू राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अकेल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और यह उक्त अकेल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः सतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साथ स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो मसौदों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
अमित प्रकाश	रघु सजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



मि० अमृत  
राम सजबली



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
राम लज्जबली	सुपेन्द्र	7459802145	मकानूरी	मिर्जापुर जिला सोडाबल अयोध्या।

मि० अ. जायसमली

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



अज्ञानादेश संख्या - राजस्व अनुभाग - 13 संख्या - 2/2015/215 एक - 13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्राचल संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूँकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सम्बन्ध देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूँकि भूस्वामी अत्यन्त सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखण्ड कोई बात या भूखण्ड किसी चीज से सञ्चयी रूप से सम्बन्ध नहीं रखते क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अपेक्षित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और वृथक्कर) धतिपूर्ण भी करेगा और उदाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहत है तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उक्त धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

दिनांक 19/03/2015  
भूस्वामी

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय को द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कम्पटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी को द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
00120	215 अ	0.12625	-	2777500.00	-	-
00121	124क	0.025	-	550000.00		
00121	215क	0.01275	-	280500.00		

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	3608000.00	जासोवती	जगजीवन	फिरोजपुर उपरहार र सोहावल अयोध्या।

  
नि. नं० ७२५/२०२३

  
उप अधिकारी  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007400

विक्रय पत्र

दही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6075

वर्ष: 2023

प्रतिकर: 3608000 स्टाम्प शुल्क - 252560 याचारी मूल्य - 3608000 पंजीकरण शुल्क - 36080 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 36140

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय: नोंवरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि


श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

जे यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023

एवं 05:53:52 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।


रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राजेंद्र सिंह

उप निबंधन: सोहानल

अयोध्या

20/09/2023

  
निबंधक लिपिक


20/09/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• शुल्कायी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	जासोमती	जगजीवन	फिरोजपुर उपरहार सोढावाल अयोध्या।	

गवाह /अगिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
भोम प्रकाश	शुभो राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह /अगिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
राम सजीवन	सुमेश्वर	7459802145	बनारस	फिरोजपुर उपरहार सोढावाल अयोध्या।	

  
 उपस्थित  
 क्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या  
 (स्वामिन राज) अधिकृत  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
 अयोध्या।

नि. अ.   
 जासोमती

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6075

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मखमुन व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्रीमती ब्रह्ममती, पत्नी श्री जगजीवन  
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसी सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: गृहिणी  
क्रमा: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र  
श्री शरद कुमार  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी  
ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी  
पहचानकर्ता: 2



श्री राम सजीवन, पुत्र श्री सुगेश्वर  
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसी सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: व्यापार



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
शतलु सिंह  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
20/09/2023  
निबंधक लिपिक अयोध्या  
20/09/2023

प्रिंट करे

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वसिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहवल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहसहकारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गादा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	सहसहकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
215 अ	जासोमती	जगजीवन	0.12625	जासोमती
124क	जासोमती	जगजीवन	0.025	जासोमती
215क	जासोमती	जगजीवन	0.01275	जासोमती

निष्पादन का दिनांक:-

स्थान - सोहवल, अयोध्या।

जासोमती

रूप निश्चित  
सर्वोच्च विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007400

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 333 से 350 तक क्रमांक  
6075 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

20/09/2023





























INDIA NON JUDICIAL



35

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN:UP19434492682084V  
 Certificate Issued Date : 20-Sep-2023 03:50 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-CZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800493735097667816V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-133 MAUJA-FINOZPUR UPARHAR PAH-MAGALSI TPH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : MOHD AVESH SO KHUMAT ALI AND OTHERS  
 Second Party : RAMESH YADAV SO SHIV KUMAR  
 Stamp Duty Paid By : RAMESH YADAV SO SHIV KUMAR  
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 79,730  
 (Seventy Nine Thousand Seven Hundred And Thirty only)



VALID WITHIN 30 DAYS FROM DATE

Handwritten signature and fingerprint

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

RD 0007065799

Burinary Alert:

1. This e-stamp is valid for 30 days from the date of issue. It is not valid for stamp duty payment after the expiry of 30 days from the date of issue. 2. The e-stamp is valid for stamp duty payment only. It is not valid for registration. 3. The e-stamp is valid for stamp duty payment only. It is not valid for registration.





नि.अ. मो.वर्मा

### विक्रय पत्र

सचिव

## कार्यालय उप निबंधक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु बशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हंतु चयनित भूमि का निम्न मकदूरों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार :- परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
133	1662690133000012	0.2070

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.05175 हेक्टा


6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
133	0.05175	गा0सं0-124	गा0सं0-123	गा0सं0-132 चकगर्भ	गा0सं0-147 व 148

नि.अ. मो.वर्मा  
 नि.अ. मो.वर्मा  
 नि.अ. मो.वर्मा  
 नि.अ. मो.वर्मा

सचिव

100



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

प्लॉट संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (मिर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की अनुमानित
1	2	3	4		7	8
133	0.05175	मो० अजिज	खिजमत अली	0.008625	189750.00	189750.00
133	0.05175	सलीहुन निशा	खिजमत अली	0.008625	189750.00	189750.00
133	0.05175	मो० दानिश	खिजमत अली	0.008625	189750.00	189750.00
133	0.05175	मो० नसीम	खिजमत अली	0.008625	189750.00	189750.00
133	0.05175	मो० इमीम	खिजमत अली	0.008625	189750.00	189750.00
133	0.05175	मो० मोनिश नावाकिन उम 12 वर्ष आयु की सलीहुन निशा माता स्वयं	खिजमत अली	0.008625	189750.00	189750.00
			योग	0.05175	1138500.00	

8 - जदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 79730.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
मो० अजिज	खिजमत अली	625019604248	CQAPA8962K	9695062719		फिरोजपुर उपरहार सांखवल अयोध्या।
सलीहुन निशा	खिजमत अली	750372200451		9005062914	ग्रहणी	फिरोजपुर उपरहार सांखवल अयोध्या।
मो० दानिश	खिजमत अली	884696856000	GJPD5501A	9170836120	विद्यार्थी	फिरोजपुर उपरहार सांखवल अयोध्या।
मो० नसीम	खिजमत अली	264302105146		8957784041	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सांखवल अयोध्या।
मो० इमीम	खिजमत अली	520105011412		9151348163	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सांखवल अयोध्या।
मो० मोनिश नावाकिन उम 12 वर्ष आयु की सलीहुन निशा माता स्वयं	खिजमत अली	443722959212		9005062914	विद्यार्थी	फिरोजपुर उपरहार सांखवल अयोध्या।


  
 मो० अजिज, मो० सलीहुन निशा, मो० दानिश, मो० नसीम, मो० इमीम

उपस्थित  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



10- क्रेता (द्वितीय पक्ष ) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7807778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं हैं और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादस्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने हरारो पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी ब्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियो और क्रय निष्काय के बीच लॉक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।

श्री शरद कुमार















(E) क्रय निकाश के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील- सोहावल जिला- अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (बारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
00127	133	0.008625	-	189750.00	-	-
00127	133	0.008625	-	189750.00	-	-
00127	133	0.008625	-	189750.00	-	-
00127	133	0.008625	-	189750.00	-	-
00127	133	0.008625	-	189750.00	-	-
00127	133	0.008625	-	189750.00	-	-

भूद्वय अन्य संपत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/ व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	189750.00	मो० आयरु	खिजनत अली	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
-	-	189750.00	सर्जीदुननिशा	खिजनत अली	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
-	-	189750.00	मो० दाविश	खिजनत अली	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
-	-	189750.00	मो० नसीम	खिजनत अली	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
-	-	189750.00	मो० वसीम	खिजनत अली	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
-	-	189750.00	मो० मोनिश नामलिंग उम्र 17 वर्ष संरक्षिका सर्जीदुननिशा माता स्वयं	खिजनत अली	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।

मो० आयरु, मो० सर्जीदुननिशा, मो० दाविश, मो० नसीम, मो० वसीम, मो० मोनिश नामलिंग उम्र 17 वर्ष संरक्षिका सर्जीदुननिशा माता स्वयं

उपरहार सोहावल अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आपेदन सं०: 202300904007453

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6069

वर्ष: 2023

प्रतिफल: 1138500 स्टाम्प शुल्क - 79730 बाजारी मूल्य - 1139000 पंख करण शुल्क - 11390 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग: 11450

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय: नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




श्री. अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह होखपत्र इस कार्यालय मे दिनांक 20/09/2023 एवं  
04:40:12 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह  
उपनिबंधक, सोहावल  
अयोध्या  
20/09/2023

  
निबंधक लिपिक  
20/09/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को चुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र. सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	मो० आवेश	खिजमत अली	किरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
2	सजीदुननिशा	खिजमत अली	किरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	 मो० सजीदुननिशा
3	मो० दानिश	खिजमत अली	किरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	Mohd. Danish
4	मो० नसीम	खिजमत अली	किरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
5	मो० नसीम	खिजमत अली	किरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	 मो० नसीम
6	मो० दानिश नासतिग उप 17 ई ई सरकारी सजीदुननिशा भारत संघ	खिजमत अली	किरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	 मो० दानिश

  
मो० आवेश

  
मो० सजीदुननिशा

  
मो० दानिश

  
मो० नसीम

  
मो० नसीम


उपरोक्त कथ  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्रीमती श्री मोनिश वायलिंग के द्वारा राजीवुनिसा, पत्नी श्री  
दिल्लमत अली

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

क्रमांक :




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता : 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजवती प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्रीमती वाफिया, पुत्री श्री मो सिराज

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

ने की। प्रत्यक्षतः छ साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
दिए गए हैं।  
दिथ्यगी :

वाफिया




रजिस्ट्रार अफिसारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उपनिबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
20/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या  
20/09/2023

प्रिंट करें



गवाह / अभिराक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	श्री. राजधली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

व्यक्ति

गवाह / अभिराक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
व्यक्ति	श्री. शिवाजी	8467071569	अपेक्षित	मि. 2/21 पुर अयोध्या	व्यक्ति

क्रम मिलाय की ओर से अधिकृत  
(रवर्षिन राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

3/1/21  
श्री. राजधली प्रसाद  
श्री. शिवाजी  
श्री. अ. शिवाजी  
श्री. अ. शिवाजी

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6069

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र धाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री मो आवेश, पुत्र श्री खिजमत अली

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अमीरवा

व्यवसाय: अन्य

मौजिदा



विक्रेता: 2

श्रीमती सजीदुन निशा, पत्नी श्री खिजमत अली

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अमीरवा

व्यवसाय: गृहिणी




विक्रेता: 3

श्री मो दानिश, पुत्र श्री खिजमत अली

मौजिदा  
Majid Javish

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अमीरवा

व्यवसाय: व्यापार



विक्रेता: 4

श्री मो बलीम, पुत्र श्री खिजमत अली

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अमीरवा

व्यवसाय: व्यापार




विक्रेता: 5


श्री मो बलीम, पुत्र श्री खिजमत अली

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अमीरवा


व्यवसाय: व्यापार



विक्रेता: 6



हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समय विकास हेतु बशिष्ठ कुल आवासीय योजना हेतु वयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर तपरहार परगना नरसैती तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहकारीवर्ती की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा no	विक्रेता का नाम	पति/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विश्लेषित क्षेत्रफल	समर्थकों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
133	मो० आरंश	विजयत अली	0.008625	
133	सजीदुननिसा	विजयत अली	0.008625	
133	मो० दानिश	विजयत अली	0.008625	
133	मो० नसीम	विजयत अली	0.008625	
133	मो० वसीम	विजयत अली	0.008625	
133	मो० मोनिश नाबालिग उस 17 वर्ष संरक्षिका सजीदुननिसा मता स्वयं	विजयत अली	0.008625	

निष्पत्तन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या।



  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007453

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 213 से 232 तक क्रमांक  
6069 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
20/09/2023











इस पृष्ठ को सुरक्षित रूप से सहेजें (डोउनलोड) | इस पृष्ठ पर - सभी संरक्षण और थीम को

Data Digitally Signed by: UDAY RAJ

यदि आप यहाँ से सही संकेत <https://pubkeydb.fgov.in/> वेबसाइट पर जाएं, तो आप इसे



सुरक्षित: UDAY RAJ  
सही: ठीक सही: सही  
डेटा का समय: 20-11-2023 11:49:24  
यदि आप यहाँ से सही संकेत <https://pubkeydb.fgov.in/>

**भूलेख / कम्प्यूटर अनुभाग**  
**राज्य सौराष्ट्र, जलपट्टा संयंत्र**  
**30 NOV 2023**  
 नकल शूलक प्रति खाना क्र.0 15/- भाज  
 राज्य प्रतिलिपि प्रमाणित  
 राजस्थान निरीक्षक









Stamp

Certificate No. : IN-UP18490490177249V ✓  
 Certificate Issued Date : 19-Sep-2023 08:03 PM  
 Account Reference : NITWAMPAC (SV) up14148004/ SOHAWAL/UP-FZB  
 Unique Doc Reference : SUBIN-UP/UP141-1600432764903288652V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Adils 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO.112 MAUJA-FIROZPUR UPARHAT PAR-MIGRA-TEF SOHAWAL/ETT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : JAGRAM YADAV SO BROTHERS AND OTHERS  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 64,150  
 (Sixty Four Thousand One Hundred And Ninety only)


607  
2023



Jagram Yadav

हरदयराजभादव

Handwritten signature



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

11  
3





उप-सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समय विकास हेतु विशिष्ट कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु व्ययित भूमि का निम्न मकदमों के मध्य आपसी सहयति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
112	1662890112000012	0.1250

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.04166 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरुब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
112	0.04166	गाटा सं-113	गाटा सं-112 25	गाटा सं-111	गाटा सं-122



Jagannath Prasad



Jagannath Prasad

उप-सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गांव संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (गार्लिन दर का 4 गुना)	इतिफाज की धनराशि
1	2	3	4		7	8
112	0.04166	जगदाम ठाकुर	ब्रह्मदीन	0.02083	458260.00	458260.00
112	0.04166	जगदाम ठाकुर	ब्रह्मदीन	0.02083	458260.00	458260.00
			कुल	0.04166	916520.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 64190.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
जगदाम ठाकुर	ब्रह्मदीन	976478817388	BEXPY7675F	9452926763	शिपनेता	रुदीलिया बाकसगंज पूरा बाजार अयोध्या।
इन्दरवर्मा ठाकुर	ब्रह्मदीन	566607583235	AQUPY3676Q	9452824834	कृषि	रुदीलिया बाकसगंज पूरा बाजार अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज प्रसन्नचिह्न अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778991	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



Jagdham Yadav



Jagdham Yadav

उपसचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रकार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादामुक्त है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बंधक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसने प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शारणादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के भूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अथवा विकास प्राधिकरण, अथवा, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	जगदीश चन्द जगदीश चन्द	ब्रह्मदीन	बैंक ऑफ़ इंडिया पूरा बाजार अयोध्या।	BARB0PURABA	06548100017097	458260.00
2	जगदीश चन्द इन्दराम चन्द	ब्रह्मदीन	बैंक ऑफ़ इंडिया पूरा बाजार अयोध्या।	BARB0PURABA	06540100024931	458260.00



Jagdish Chandra



Jagdish Chandra

उप.सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



कुल धनराशि शब्दों में-

(नौ लाख सोलह हजार पाँच सौ बीस रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को टुटियस अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारड प्रोवेशन प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अवल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अवल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिकूल प्राप्त करने सम्बन्धी रदीकारोक्ति के पश्चात् विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गण्डों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	रघु राजबली प्रसाद	7807778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
सुन्दर लाल	बालक राम	9559207255	एचि	मिरोजपुर उपखण्ड सादामल अयोध्या।



Jagannathan



Jagannathan



रघु राजबली  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रास्य संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे एतदपश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखंड कोई बात या भूखंड किसी चीज से स्थायी रूप से संबद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यत्र रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सायुक्त और पृथक्कृत) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्तवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगी।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के धकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।



Jagannathan



19/03/2015

उपस्थित

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



(8) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- किरोजपुर उपरहार, परगना- भगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (घासो सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
	112	0.04166		916520.00	-	-

भूवद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
		916520.00	जनरल उर्फ जगदाम यादव	ब्रह्मदीन	रुदौलिया बाकसगंज पूरा बाजार अयोध्या।
			इन्दराम उर्फ इन्दराम यादव	ब्रह्मदीन	रुदौलिया बाकसगंज पूरा बाजार अयोध्या।

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।



Jagannath Yadav



12/01/2015

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विज्ञाप पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6017

वर्ष: 2023

प्रतिफल: 916520 स्टाम्प शुल्क- 64190 धाजारी मूल्य - 917000 पंजीकरण शुल्क - 9170 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 9230

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
उपस्थान्त: श्रीकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/  
प्रतिनिधि



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इत कार्यालय में दिनांक 19/09/2023 एवं  
06:55:06 PM बजे  
निवेदन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक (सोहायस)  
अयोध्या  
19/09/2023  
  
निबंधक निषिक्त  
19/09/2023

प्रिंट करे



• भूखानी/भूखानियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	जगदाम लाल जगदाम अग्रवाल	इलाहाबाद	रुदौलिया ब्राह्मणगंज पूरा बाजार अयोध्या।	Jagdish Yadav
2	इंदरवाम लाल इंदरवाम यादव	ब्रह्मगढ़	रुदौलिया ब्राह्मणगंज पूरा बाजार अयोध्या।	Dr. Jyoti Prasad

गवाह / अभिशाही

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	रविंद्र राजबती प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिशाही

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
गुन्वर लाल	बालकृष्ण लाल	9559207255	कृषि	फिराजपुर उपखण्ड सोनभद्र अयोध्या।	गुन्वर लाल

उम राविवर  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या  
कचहरी मंडल की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपराजिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



Jagdish Yadav



Dr. Jyoti Prasad

पृष्ठ सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6017

वर्ष: 2023

निम्नोक्त लेखमन बाद सुनने व समझने मजसूम व प्रत्यक्ष धनराशि व प्रत्येकानुसार प्रकृत

विक्रेता: 1

श्री जगराम उर्फ जगदाम यादव, पुत्र श्री ब्रह्मादीन  
निवासी: रुदौलिया प्रकरगंज पूरा बाजार जिला अयोध्या  
व्यवसाय: व्यापार

*Jagam Yadav*



विक्रेता: 2

श्री हरशराम उर्फ हरदशराम यादव, पुत्र श्री ब्रह्मादीन  
निवासी: रुदौलिया प्रकरगंज पूरा बाजार जिला अयोध्या  
व्यवसाय: व्यापार

*Harsharam Yadav*



विक्रेता: 1

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्थापित राज, पुत्र श्री शरद  
कुमार  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: सीकरी

*[Signature]*



ने निम्नोक्त स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1

श्री अमन प्रकाश, पुत्र श्री मन राजवती प्रसाद  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: सीकरी

*[Signature]*



पहचानकर्ता: 2

श्री सुन्दर लाल, पुत्र श्री बालकृष्ण  
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: सीकरी

*Sunder Lal*



ने की। अयोध्या विकास प्राधिकरण के निवासी अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।  
दिनांक:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*[Signature]*  
उप निबंधक: सोहावल  
अयोध्या  
19/09/2023

निबंधक सिपिक अयोध्या  
19/09/2023

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु विशिष्ट कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना गढ़वासी गहरील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग संख्यावारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
112	जगन्नाथ उर्फ जगन्नाथ शर्मा	बहनादीन	0.02083	
112	इमरुद्दौल उर्फ इमरुद्दौल शर्मा	बहनादीन	0.02083	

निष्पादन का दिनांक-  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



Jagannath Sharm



K. Prasad Sharma

सचिव  
जनपद विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007398

बही संख्या । जिल्द संख्या 3131 के पृष्ठ 297 से 314 तक क्रमांक 6017 पर  
दिनांक 19/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

19/09/2023

प्रिंट करे





INDIA NON JUDICIAL



36

Government of Uttar Pradesh

IN-UP18998445025133V

e-Stamp



6058  
2023

Certificate No. : IN-UP18998445025133V ✓  
 Certificate Issued Date : 20-Sep-2023 01:06 PM  
 Account Reference : NEWIMPACO (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800433575310128714V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 29 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-140 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-  
 SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : RAMAWAT SURF RAMA WO RAM GHANISAR  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,03,280  
 (Two Lakh Three Thousand Two Hundred And Eighty only)



Stamp up18998445025133V



रज.अ. अखरी

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065792

Document Code

1. This document is generated by the Government of Uttar Pradesh, Department of Revenue, and is valid only if it is signed by the authorized officer.  
2. The document is valid only if it is signed by the authorized officer.  
3. The document is valid only if it is signed by the authorized officer.





नि.सं. २१७७७७७७



उप.सं. १२३४५६७८  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु अयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
140	1882890140000012	0.1320

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1320 हेक्टेयर


6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरुब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
140	0.1320	गाटा संख्या-141	चकमार्ग व गाटा संख्या 135	चकमार्ग व गाटा संख्या 139	गाटा संख्या,146



नि.सं. २१७७७७७७

उप.सं. १२३४५६७८  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4	5	7	8
140	0.1320	रानावती उर्फ राम	राम चन्दर	0.1320	29,04,000.00	29,04,000.00
			योग-	0.1320	29,04,000.00	29,04,000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु0 2,03,280.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
रानावती उर्फ राम	राम चन्दर	4638 0269 6118	EVPR9967J	9936207238	कृषि	फिरोजपुर सपरदार सी.हावल अयोध्या

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित सर्वोच्च राज. उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार	-	AAALA0206C	7607778911	सपरसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



नि.अ.क.

रानावती

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिसे पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादस्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के सागस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा गतिष्क में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी ब्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, ज०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का मुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



पिन-अं- रामचन्द्र



## 12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राजावती उर्फ राधा	राम लखर	इंदौरा सुपी बैंक	BARBOBUPGBX	55300100007559	29,04,000.00
					योग-	29,04,000.00

कुल धनराशि शब्दों में-

( उनतिस लाख चार हजार रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को बुद्धिगम अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बाहर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अवल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अवल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

## 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	रमो राजवती प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



ने.सं.

राजावती

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



## द्वितीय साक्षी विवरण :-

### हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
राजदेव	श्रीराम	8417020816	कलदुरी	फिरोजपुर उपरहल अयोध्या

शासनदेश संख्या -राजराज अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(45)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्राप्त संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखंड कोई रात या भूखंड किसी धीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

  
मि. अ. अ. शमाबल/-

  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का इकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से इकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।



नि. ७७- २१२१०७७

उप. नि. ७७  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



## अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- भगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि वन सर्वेक्षण संस्था का भाग हो (घारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वाक्षिप्त प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
124	140	0.1320	-	29,04,000.00	-	-

बूद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	29,04,000.00	समावती जर्क रामा	राम चन्द्र	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	समावती जर्क रामा	राम चन्द्र	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या	

दिनांक 27/01/2024

 समावती

  
उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007417

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6058

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 2904000 स्टाम्प शुल्क- 203280 बाजारी मूल्य - 2904000 पंजीकरण शुल्क - 29040 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 29100

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुन. श्री शरद कुमार  
व्यवसाय : बीकरी  
शिवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



  
स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि


श्री. अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

जे यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023

एवं 03:00:08 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राजेंद्र सिंह  
उप निबंधक-सोलाण्ड

अयोध्या  
20/09/2023

  
निबंधक लिपिक  
20/09/2023


प्रिंट करे



गवाह /अभिज्ञाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह /अभिज्ञाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
राजदेव	श्रीराम	8417020816	मजदूरी	किलोवपुर उमरवार सोडागल, अयोध्या	



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण (ए) अयोध्या  
अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



अयोध्या शमावती

वही सं: 1

रजिस्ट्रेशन सं: 5058

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखक बाद सुनने व समझने नजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

शिकेता: 1

श्रीमती सुभावती उर्फ शमा, पत्नी श्री राम चन्दर  
जिलासी: फिरोजपुर उपरहार तहसीला सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: गृहिणी



क्रेता: 1

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्गेय राज, पुत्र  
श्री शरद कुमार  
जिलासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: लीकरी




मे निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबती प्रसाद  
जिलासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: लीकरी  
पहचानकर्ता: 2



श्री राजदेव, पुत्र श्री श्रीराम  
जिलासी: फिरोजपुर उपरहार तहसीला सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: इयादाद 215/29



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

*[Signature]*  
राहुल सिंह

उक्त निबंधक: सोहावल  
अयोध्या  
10/09/2023

जे को। प्रत्यक्ष भद्र साक्षियों के दिशा में अंगूठे निबन्धन अनुसार  
लिख राख है।  
टिप्पणी:


निबंधक लिपिक अयोध्या  
20/09/2023



हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु बचनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- किरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

शुद्ध सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	इपक्षकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	रमावती रम रमा	राम चन्दर	0.1320	

निष्पन्न का दिनांक-  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या




रमावती

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007417

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 33 से 50 तक क्रमांक  
6058 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह.  
उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या  
20/09/2023

प्रिंट करें



7017



Government of Uttar Pradesh

IN-UP19579532099588V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP19579532099588V  
 Certificate Issued Date : 20-Sep-2023 04:58 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004 SOHAWAL UP-FZE  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UP-UP1414800434743056677051V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-133 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : YAKOOB ALI URF MOHD YAKOOB SO JAMIN URF JAMIN ALI  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 79,730  
 (Seventy Nine Thousand Seven Hundred And Thirty only)



निह आकूब अली

Handwritten signature

उच्च अधिकारी  
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065805





अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु विशिष्ट कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या 133	गाटा की यूनिट आई.डी. 166269013300DD12	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 0.2070
--------------------	--	------------------------------------

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 0.2070 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
133	0.2070	गाटा संख्या-134	गाटा संख्या-123	बक मार्ग-132	गाटा संख्या-147 व 148

स्ति 21/12/20

उप निबन्धक  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

7450



## 7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
133	0.2070	याकूब अली लॉक मोहम्मद याकूब	जामिन लॉक जामिन अली	0.05175	11,38,500.00	11,38,500.00
			योग-	0.05175	11,38,500.00	11,38,500.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु० 79730.00

## 9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
याकूब अली लॉक मोहम्मद याकूब	जामिन लॉक जामिन अली	502012117993	BPBPY1184C	9794593357	कृषि	किरोजपुर उपखंड, सोहावल, अयोध्या।

## 10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित रजिस्टर्ड राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार	-	AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

दिनांक 21/11/2023

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादस्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

दिनांक 20/03/2015  
20/03/15

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



## 12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सादत अली उर्फ मोहम्मद याफ़्त	आमिन उर्फ जामिर अली	पहोला चणार प्रदेश प्रान्तीय बैंक	BARBOBUPGBX	55300100015029	11,38,500.00
					योग-	11,38,500.00

कुल धनराशि शब्दों में-


( ग्यारह लाख अड़तीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में दावा दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रातिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलाने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के सक्षम स्वरूप दोनों पक्षधरों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।



उपरोक्त  
अयोध्या विक्रेता प्राधिकरण, अयोध्या





14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
आम प्रकाश	स्व. राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
मो. जमीर	सरला अली	7860128807	शूषि	धिरा मोहनपुर, मोटावल, अयोध्या।



शारानादेश संख्या - 13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्वारा भूस्वामी कहा गया है) और:



उपरोक्त  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या




द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रोतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात वा भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते हैं:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक सम्झता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अल्पन्ध रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि जो क्रय निकाय द्वारा अध्यागत की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में दसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जावेगा।

उपस्थित  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिरों स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आचारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मंगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (बराबरी सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (₹0में)	भूमि पर खड़ी फसल विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹0 में)
01	02	03	04	05	06	07
127	133	0.2070	-	11,38,500.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (₹0 में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	11,38,500.00	याक़ूब अली उर्फ गौदुम्माद याक़ूब	जामिन उर्फ जामिन अली	फिरोजपुर उपरहार, सोहावल, अयोध्या।



उपस्थित  
अमेन्द वि.सत. अधिकारी, लखीका

आवेदन सं०: 202300904007458

विवरण पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6074

वर्ष: 2023

प्रतिकल- 1138500 स्टाम्प शुल्क- 79730 बाजारी मूल्य- 1139000 फंजीकरण शुल्क- 31390 प्रतिलिपिकरण शुल्क -60 योग: 11450

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राव अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
वावसाय: नोकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या





श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राव अधिकृत  
पदाधिकारी प्रतिनिधि


ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023 एवं  
05:55:11 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राजेश सिंह  
उप निबंधक, सोहावल  
अयोध्या  
20/09/2023

  
निबंधक लिपिक  
20/09/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	यकूब अली अर्ज गोहमद शाकूर	जामिन अर्ज जामिन अली	किशोरपुर उपखण्ड, सोहावल, अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	रमेश राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
मो० जगदीश	सरकल अली	7860128807	कृषि	मिर्सा मोहम्मदपुर, सोहावल, अयोध्या।	

क्रय निकाय की ओर से  
अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।

शी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6074

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजसुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
चिक्रेता: 1

श्री याकूब अली उर्फ मोहम्मद याकूब, पुत्र श्री आमिन उर्फ  
आमिन अली


निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: कृषि  
प्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा सर्जिन राफ, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी  
पहचानकर्ता: 2




श्री मो जगील, पुत्र श्री सरकत अली

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: कृषि



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

  
रहित सिंह

उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
20/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या  
20/09/2023

ने की। प्रत्यक्ष-भद्र साक्षियोंके निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिख गए है।  
दिप्यगी:



हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	याफ़ूज़ अली उर्फ मोहम्मद याफ़ूज़	जामिन उर्फ जामिन अली	0.2070	

निष्पादन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या।

उपरोक्त  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



आवेदन सं०: 202300904007458

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 313 से 332 तक क्रमांक  
6074 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
20/09/2023











Data Digitally Signed by: UDAY RAJ

Order your mobile no. is present. [raj@udayraj.com](mailto:raj@udayraj.com) in Website. It will show in your ID



Order reference: UDAYRAJ  
Mobile: 98900 98900  
Order no: 10-11-2023 01:34:59  
It will show in your ID

**महोदय / कर्मचारी अनुभाग**  
**तहसील सहायवादा, जालना-अहमदाबाद**

**30 NOV 2023**

मिळालेले पत्राचे प्रती याला ₹50.15/- मात्र  
 पत्रे भविष्यात प्रभावीत

**श्री. उदयराज निरीक्षक**







नि.अ. श्रीमती अशु. १



उप सचिव  
असौख्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वषिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या 43ख	गाटा की यूनिट आई.डी. 1662690043000012	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 0.0060
--------------------	--	------------------------------------

- 5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0030 हेक्टेयर
- 6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
43ख	0.0030	गाटा संख्या-44	गाटा संख्या-42	गाटा संख्या-40	गाटा संख्या-43 का कोना




नि.अ.



उप सचिव  
असौख्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
43ख	0.0060	श्रीमती मधुरी	शम सजीवन	0.0030	42000.00	42000.00
			योग-	0.0030	42000.00	42000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु0 2940.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती मधुरी	शम सजीवन	877939666476	DTXPM0328E	7379300747	कृषि	नेवली तहसील मिल्कीपुर अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार	-	AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।



  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- ड- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

## 12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती नाथुरी	राम सजीवन	बैंक ऑफ बड़ोदा मिल्कीपुर अयोध्या।	BARBOMILKIP	34380100007820	42000.00
					योग-	42000.00

कुल धनराशि शब्दों में- ( बयालिस हजार रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दायी नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति बसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:  
हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
मोहम्मद जुनेद अंसारी	अब्दुल हमीद	9936528661	कृषि	फिरोजपुर उपरक्षर सोहाबल अयोध्या।



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्पश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्द्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।



  
उप सचिव  
आरक्षक विकास प्राधिकरण, अयोध्या




आर चूँके भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातों क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिषत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिषत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित, इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
  - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
  - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी, शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
  - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।



उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



## अनुसूची


ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
159	46इ	0.0030	-	42000.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/ व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	42000.00	श्रीमती माधुरी	राम सजीवन	नेवली तहसील मिल्कीपुर अयोध्या।

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	श्रीमती माधुरी	राम सजीवन	नेवली तहसील मिल्कीपुर अयोध्या।	



  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007408

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6020

वर्ष: 2023

प्रतिफल - 42000 स्टाम्प शुल्क - 2940 बाजारी मूल्य - 42000 पंजीकरण शुल्क - 420 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 घोष : 480

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शंकर कुमार  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/09/2023 एवं  
07:16:26 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक :सोहावल  
अयोध्या  
19/09/2023

निबंधक लिपिक  
19/09/2023



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
मोहम्मद जुनेद अंसारी	अब्दुल हमीद	9936528661	कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोहायल अयोध्या।	

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।



नि.पु.क. मधुरी.

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007408

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6020


वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रत्येकानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्रीमती माधुरी, पत्नी श्री राम सजीवन  
निवासी: नेवली तह० मिटकीपुर जिला अयोध्या  
व्यवसाय: गृहिणी  
क्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरदर कुमार  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी




ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबती प्रसाद  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या  
व्यवसाय: नौकरी  
पहचानकर्ता: 2



श्री मोहम्मद खुनेद, पुत्र श्री अब्दुल हमीद  
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या  
व्यवसाय: कृषि




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
19/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या  
19/09/2023

ने की। अलायत: भद्र साक्षिों के निश्चान अंगुठे नियमानुसार  
लिए गिए है।  
टिप्पणी:



प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वविष्ट कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
43छ	श्रीमती माधुरी	राम सजीवन	0.0030	

निष्पादन का दिनांक:-  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



श्री.श. श्रीमती माधुरी

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007408

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3131 के पृष्ठ 349 से 366 तक क्रमांक 6020 पर दिनांक 19/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रदीप कुमार प्र०  
उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
19/09/2023

